संख्या-133/2020/1418/20-27-सिं0-4-63(डब्ल्यू)परि0/2019

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2020**

विषय: भुपौली पम्प नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-110/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 19 जून, 2020 के सन्दर्भ में एवं विषयांकित परियोजना की शासनादेश संख्या-253/2019/4488/19-27-सिं0-4-63(डब्ल्यू)परि0/2019, दिनांक 19.12.2019 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4701-27-051-10-1014-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 162.98 लाख के सापेक्ष रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) चालू परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-27-भुपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-10-नहरें-1014-सम्बद्ध कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 मे निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

6. वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-8 के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-1362/दस-2020, दिनांक 10 जुलाई, 2020 में प्राप्त सहमति के क्रम में उक्त चालू परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 40.00 लाख की सी0सी0एल0 निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

क्रमश: 2

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-133/2020/1418(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (नलकूप-वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।

7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।

9- अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

11- नियोजन अनुभाग-3

12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

वी0एन0तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in